364

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 14 अगस्त, 1997 (श्रावण 23, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री यशवन्त राव मेघावाले, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का उनचालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-95 से 31-3-96) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन सिंह (त्यौंथर), रामलखन शर्मा, सदस्य, जबलपुर जिले की बरगी जलाशय परियोजना हेतु शासन से वित्तीय सहायता न मिल पाने की ओर उपमुख्य मंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री सोबरन सिंह मावई, लक्ष्मीकांत शर्मा, ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, मुरैना जिले में डकैती एवं अपहरण की बढ़ रही घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) महन्त स्वामी उमेश मुनि, सदस्य, खण्डवा जिले में रंगीन कपास की खरीदी न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री शैलेन्द्र प्रधान, बच्चन नायक, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, भोपाल के नगर निगम चुनाव के दौरान गोली चालन से घायल युवक की हालत गंभीर होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री जगदीश देवड़ा, लल्लू सिंह, सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, मन्दसौर जिले की भदाना बीट के अन्तर्गत पेड़ों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री रामनरेश त्रिपाठी, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर जिले के पाटन नगर में छात्रों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, नेमीचन्द जैन, डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम बरखेड़ा में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश न दिये जाने की ओर जन शक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले में बेतवा नदी का जल प्रदूषित होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, लालचन्द मित्तल, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर शहर की आवासीय कालोनियों में वर्षा का पानी भरने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के लोक निर्माण संभाग में भ्रष्टाचार होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले में स्थित एम. पी. प्लाईवुड फैक्ट्री बन्द होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री कमल पटेल, मनोहरलाल राठौर, डॉ. सीतासरन शर्मा, बैतूल जिले के शाहपुर वन मण्डल के गांवों में आदिवासियों का शोषण होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा होम्योपैथिक छात्रों का परीक्षा परिणाम रोके जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री किशोरीलाल वर्मा, ठाकुर मोहर सिंह, खुमान सिंह शिवाजी, सदस्य, खण्डवा जिले में सहकारी सोसाइटियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में दूषित पेयजल से फैल रही बीमारी से हुई मौतों की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री कंकर मुंजारे, कालूराम खटीक, सदस्य, दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण होने की ओर उपमुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री लल्लू सिंह, रामलखन शर्मा, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शहडोल एवं रीवा जिले के परीक्षा परिणाम घोषित न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के गोसलपुर स्थित मध्यप्रदेश विद्युत संयंत्र बंद होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, मोती कश्यप, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के भूकम्प पीड़ितों को पर्याप्त राहत व सहायता उपलब्ध न कराये जाने की ओर उपमुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्रीमती सुधा जैन, श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के सिरोंजा के पास बस दुर्घटना से हुई मौत की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) डॉ. अशोक साबले, सदस्य, बैतूल जिले के बोरगांव बांध पर निर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त होने की ओर उपमुख्य मंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री नानालाल पाटीदार, मनोहर लाल राठौर, सदस्य, मन्दसौर स्थित लक्ष्मण मन्दिर के पुजारी द्वारा शासकीय भूमि का अवैध विक्रय किये जाने की ओर उपमुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को अतिशेष घोषित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम लालपुर कलां में उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) सर्वश्री रघुनंदन शर्मा, मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर से एक बालिका का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-3-

365

(28) श्री भूपेन्द्र सिंह,सदस्य, सागर जिले के ग्राम भिला के पटवारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर उपमुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल गौर, सभापति, लोक लेखा समिति का 122 वां से 158 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री परसराम धुर्वे, सभापति, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का बाईसवां एवं तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, याचिका समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति (वर्ष 1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री भगवान सिंह यादव, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाये."

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम गोसाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम कैलवारा खुर्द में हाई स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

8. वक्तव्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, दिनांक 12 अगस्त, 1997 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 5770) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्यारेलाल कंवर, उपमुख्य मंत्री (राजस्व), मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 30 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश में हीरे की उपलब्धता, आंकलन, उत्खनन एवं विक्रय के संबंध में सर्वश्री विक्रम वर्मा, बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (2) मध्यप्रदेश के कृषकों की अधिगृहीत भूमि के लम्बित मुआवजा प्रकरणों के संबंध में श्री घनश्याम पाटीदार तथा श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 13 अगस्त, 1997

के. पी. तिवारी
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा